

— / / 01 / / —

आपराधिक प्र.क्र.: 1126 / 2014

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क्र.: 1126 / 2014

संस्थित दि: 25 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

केशव उर्फ केशरसिंह पिता बिरसिंह धुर्वे, उम्र 34 साल, जाति गोंण्ड,
निवासी ग्राम खैरटोला धामनगांव चौकी मछुरदा थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 09 / 12 / 2014 को उपापिहित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रतनसिंह तिलगाम ने चौकी मछुरदा में दिनांक 30.08.2014 को आकर मर्ग इंटिमेशन लेख कराया कि कमलसिंह के खेत में मेढ़ पर झाड़ियों के अंदर एक अज्ञात महिला का शव छत विछत अवस्था में पड़ा हुआ है। फरियादी की रिपोर्ट पर शून्य पर मर्ग कायम कर थाना बिरसा में असल मर्ग कायम किया गया। मर्ग की जांच प्रधान आरक्षक 327 टीकाराम द्वारा की जाकर घटनास्थल, निरी.शव, नक्शा पंचनामा कथन पंचनामा एवं शव का पी.एम कराया गया। मृत्तिका के शव के पास पड़े बेग से मृत्तिका के कपड़े एवं एक कागज का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिस पर मोबाईल नम्बर लेख था। मोबाईल नम्बर के आधार पर ग्राम दर्री छतीसगढ़ जाकर मृत्तिका की बहन पदुमबाई घुरऊ साक्षी सुखमति पटेल से अज्ञात मृत्तिका की फोटो दिखाकर शिनाख्ती की गई, जिन्होंने अज्ञात मृत्तिका को सुखमति चौहान पिता स्व. पारसीराम निवासी ग्राम दर्री के रूप में पहचान किये। विस्तृत मर्ग जांच पर प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मृत्तिका सुखमति चौहान के सिर में पत्थरों से चोट पहुंचाकर हत्या कर उसके शव को मेढ़ की झाड़ियों में छुपाये जाने पर चौकी मछुरदा में 0 / 14 एवं

थाना बिरसा में असल अपराध क्रमांक 110 / 14 धारा 302, 201 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान कथन मृतिका के परिजन के आधार पर पाया गया कि मृतिका सुखमती डी.पी.एस. स्कूल रायगढ़ में खाना बनाने का काम करती थी जहां चपरासी केशव धुर्वे से उसके प्रेम संबंध हो गये थे उससे वह शादी करना चाहती थी। मृतिका के परिजनों ने घटना दिनांक से पूर्व मृतिका को रायगढ़ के रेल्वे स्टेशन पर केशव धुर्वे के सुपुर्द कर दिये थे। विवेचना दौरान गोपनीय सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई की ग्राम खैरटोला धामनगांव का केशव धुर्वे रायगढ़ में मदजूरी करता है वह एक महिला को लेकर ग्राम धामनगांव गया था घटना दिनांक से गांव में नहीं था। सन्देह के आधार पर तलाश पता साजी की गई। केशव का मोबाईल नम्बर प्राप्त हुआ। जिला रायगढ़ जाकर डी.पी.एस स्कूल पहुंचकर केशव धुर्वे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उसने घटना करना स्वीकार किया एवं धारा 27 साक्ष्य अधि. मेमोरेण्डम में बताया कि सुखमती उससे शादी करना चाहती थी एवं वह उससे शादी करना नहीं चाहता था। सुखमती को रायगढ़ से धामनगांव लाकर खेत में पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी उसके शव को झाड़ियों में छिपाकर रायगढ़ चला गया। जुर्म स्वीकार करने पर विविध आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद घटना के समय पहने रक्त रंजित कपड़े जप्त कर एवं आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

(05) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।,

(06) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।

(07) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 23.12. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

(08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक जोड़ी पुरानी काले रंग की प्लास्टिक की चप्पल, सिन्दूरी रंग की चूड़ी के 4 टुकड़े, एक काले रंग का पुरानी इस्तेमाली बैग जिसमें एक हरे तोता रंग की प्लेन साड़ी, सिंदूरी रंग की प्लेन साड़ी, गुलाबी रंग की साड़ी, एक साड़ी पीली, नीली सफेद रंग की, एक साड़ी नीली, हरी, बैगनी रंग की, एक लाल कत्थाई रंग की फूल अस्तीन का उनी स्वेटर, एक प्लास्टिक बोरी का हल्का पीला सफेद रंग का पुराना थैला जिसमें एक उनी मोरपंखी रंग की शॉल, एक परची जिसमें acer लिखा है, एक मोबाईल काला रंग का जिसमें LAVA लिखा है मय बैटरी, 1 सिम आईडिया की, एक मेमोरी कार्ड 4 जी.वी. का नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया गया एवं शेष सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार जांच हेतु एफ.एस.एल सागर हेतु भेजा जाना दर्शित है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट